

हम कि श्री गगन सेठी पुत्र श्री सीताराम निवासी डी-18 रेसकोर्स जिला देहरादून व श्रीमती अलका साहनी पत्नी श्री रमेश साहनी

निवासी 105 निरंजनपुर जिला देहरादून के हैं। (विक्रेता)

विदित हो कि एक व्यवसायिक भू—खण्ड सं0 सी—1 जिसकी पैमाइश पूरब 14.30मीटर पश्चिम 17.28मीटर उत्तर 40.80मीटर दक्षिण 45.14मीटर और कुल क्षेत्रफल 742.65वर्गमीटर सात सौ बयालीस दशमलव छः पाँच वर्गमीटर है। जो स्थित हरिलोक आवासीय योजना ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार है। जिसके पूरब मे दुकान एच.डी.ए. पश्चिम मे सम्पत्ति अन्य व्यक्ति उत्तर मे सड़क 12.00मीटर चौड़ी दक्षिण मे सम्पत्ति अन्य व्यक्ति है। जिसके विक्रेता स्वामी अधिकारी है। जो विक्रेतागण ने द्वारा विक्रय पत्र दिनांकीत 26-12-2005 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 1190 / 1687 के पृष्ठ 275 / 433 / 440 में नं0 11322 / 11323 पर दिनांक 26-12-2005 को उप निबन्धक कार्यालय हरिद्वार हुई थी हरिद्वार विकास प्राधीकरण से खरीद किया था। उक्त प्लाट आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन आदि के भार से शुद्ध एवं मुक्त है कहीं पर आड़ रहन या बन्धक नहीं है। और उक्त प्लाट को बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी महकमे बैंक कम्पनी सोसायटी आदि से लिया हुआ नही है। हम विक्रेता उक्त प्लाट को विक्रय करने मे पूर्ण रूप से सक्षम है। अब अपनी स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से मय हर प्रकार के स्वत्व व अधिकारों के बदले मुब० 7382000 / - तिहत्तर लाख बयासी हजार रूपये मे हाथ श्री सतीश अरोड़ा पुत्र श्री देशराज अरोड़ा (1/2भाग) व श्रीमती प्रवीण अरोड़ा पत्नी श्री सतीश अरोड़ा (1/2भाग) निवासीगण 3-ए जगदीश नगर कालोनी ज्वालापुर परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार (क्रेता) के हक मे विक्रय व हस्तान्तरित कर दिया है और कुल मूल्यराशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है कब्जा मौके पर उक्त प्लाट पर क्रेता का करा दिया है वह उसमे अपने लाभ के लिये कोई भी कार्य करे निर्माण कार्य करे नक्शा आदि पास कराये विक्रय आदि करे और लाभ उठाये। अब प्रतिज्ञा करते हैं और लिखे देते हैं कि आज से विक्रेता व उसके उत्तराधिकारियों का उक्त विक्रीत प्लाट के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य मे होगा यदि भविष्य मे विक्रेता के किसी स्वत्व या कानूनी त्रुटि के कारण या किसी के वाद विवाद के कारण उक्त विक्रीत प्लाट या उसका कोई अंश कब्जा व दखल क्रेता के अधिकार से निकल जाये या उसे कोई भार चुकाना पड़े या कब्जा आदि मे


De la

Aschri

---


Raver

Scanned with CamScanner



कोई रूकावट उत्पन्न हो तो ऐसी हर एक अवस्था में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल मूल्यराशि मय सूद वैधानिक विक्रेता की हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति व जात खास व जायदाद से जिस प्रकार चाहे द्वारा न्यायालय वसूल कर ले विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीयों को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम विक्रेता प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों के जिम्मेदार हैं जो कानूनन एक विक्रेता पर आयद होती है। उक्त प्लाट से सम्बन्धित कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन नहीं है। उक्त प्लाट किसी धार्मिक संस्था व ट्रस्ट का नही है। विक्रेता व क्रेता के मध्यउक्त प्लाट की बावत कोई रजिस्टर्ड इकरारनामा नहीं हुआ है। विवरण प्राप्ति मुल्यराशि— मुझ विक्रेता ने कुल मूल्यराशि मुब0 7382000 / — रूपये तिहत्तर लाख बयासी हजार रूपये में से मुब0 750000 / - रू0 द्वारा चैक नं0 155404 दिनांकीत 09-01-2013 व मुबं 750000 / - रू द्वारा चैक नं 155405 दिनां कीत 09-01-2013 व मुबं 10000000 / — रू0 द्वारा चैक नं0 149569 व मुब0 10000000 / — रू0 द्वारा चैक न0 149567 व मुब0 941000 / - रू0 द्वारा चैक नं0 149568 व मुब0 10000000 / —रू0 द्वारा चैक नं0 155440 व मुब0 1000000 / —रू0 द्वारा चैक नं0 155438 व मुब0 941000 / - रू0 द्वारा चैक नं0 155439 उक्त सभी चैक दिनांकीत 26-04-2013 उक्त सभी चैक एक्सीज बैंक हरिद्वार प्राप्त कर लिये हैं। पश्चात रजिस्ट्री के कुछ शेष नहीं रहेगा। उक्त भूमि शत्रु सम्पत्ति नही है। अन्तरक एवं अन्तरिती विदेशी नागरिक/भारतीय मूल का विदेशी नागरिक नही है। तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान का नागरिक भी नही है।

रिजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस।



Scanned with CamScanner

